

(19)



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर (मोप्र०)

रिवीजन कंमाक / 2015
क्रमांक 1096-I-15

आवेदक :

कृष्णकुमार नामदेव आत्मज स्व. गनेशप्रसाद
नामदेव निवासी— बजरंग वार्ड गोटेगांव,
तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (मोप्र०)

विरुद्ध

अनावेदक :

प्रेमनारायण नामदेव आत्मज स्व. गनेश प्रसाद
नामदेव निवासी— बजरंग वार्ड गोटेगांव,
तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (मोप्र०)

23.4.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 एवं 129 (4) मोप्र०भू०रा.संहिता 1959

आवेदक वर्तमान निगरानीनामा प्रकरण कंमाक 50-अ/2012 सन् 2014 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार गोटेगांव द्वारा जाली नाम कमिशन में दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 24/12/2014 आदेश दिनांक निरंक जिसकी सूचना कभी नहीं दी गई। परन्तु कचेहरी जाने पर दिनांक 13/04/2015 में जानकारी प्राप्त होते ही नकल आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रमाणित प्रति दी गई, तब से विहित अवधि में निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

23 APR 2015

तथ्य

1. यह कि, आवेदक के हक एवं स्वत्व की भूमि मौजा छोटा छिंदवाड़ा में स्थित ख. 94/5, 94/20, 94/21 कुल रकवा 4.112 हेक्टेयर सन् 1994 के बंटवारो से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। तथा प्रेम नारायण द्वारा स्वयं के हक में दर्ज जमीन खसरा नं. 94/3-94/24, रकवा 4.085 हेक्टेयर में से रकवा 3.375 हेक्टेयर एवं उमेश कुमार नामदेव ने रखरा नं. 94/4, 94/23 रकवा 4.150 हेक्टेयर में से 1.023 हेक्टेयर एवं स्व. गेंदा बाई ने खसरा नं. 94/1, 94/2, 94/25 रकवा 4.150 हेक्टेयर में से रकवा 3.341 हेक्टेयर कुल जमीन 7.739 हेक्टेयर पंजीकृत



न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
निगरानी 1096—एक/2015 जिला—नरसिंहपुर

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभावकों
आदि के
हस्ताक्षर

25.2.19

आवेदक के अधिवक्ता श्री बी0 एस0 साहू उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 50/अ/2012 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2014 के विरुद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-

धारा—50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—

(ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।

3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों।

पेशी दिनांक 29/4/19

अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

संदर्भ